



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122020-223530
CG-DL-E-05122020-223530

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3836]
No. 3836]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/अग्रहायण 13, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

का. आ. 4374(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) भारत के राजपत्र, (असाधारण) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2334 (अ), तारीख 14 जुलाई 2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कर्नाटका राज्य में एन्नोर- तिरुवल्लूर - बेंगलुरु - पुदुचेरी - नागपट्टिनम - मदुरै - टूटिकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 14.7.2020 को उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग

अधिकार अर्जित किया जाता है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार इस अधिसूचना के प्रकाश की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी रुकावटों से मुक्त हो कर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : बेंगलुरु ग्रामीण			राज्य: कर्नाटका			
तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं.- खण्ड सं.	उप खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
होसकोटे	खाजिहोसाहल्ली	14	2	00	03	08
		14	4	00	15	89
		14	3	00	03	20
		101	3	00	07	10
होसकोटे	बनहल्लि	11	3	00	10	75
		11	2	00	07	53
		10		00	25	86
		15	2	00	12	48
		17		00	30	39
		16		00	07	60
		21		00	14	85
होसकोटे	तिन्ड्लु	69		00	70	00
		102		00	52	20
		87		00	41	22
		126		00	19	52
		109		00	06	35
		103		00	07	04
		106		00	12	45
होसकोटे	लिंगधीरमल्लासान्द्रा	45	2	00	23	63
		51		00	15	00
		31		00	77	97
		30		00	31	96
होसकोटे	देवनगोंथी	134		00	82	80
		135		00	68	40

		137		00	25	20
		136	1	00	07	20
		146	2	00	14	40
		246		00	22	32
		142		00	80	00
होसकोटे	मेदिहल्ली	4		00	11	00

[फा. सं. एल-14014/37/2020-GP-II]

राज किशोर, अवसर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2020

S.O. 4374(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.No. 2334(E) dated: 14.7.2020 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (herein after referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Natural Gas, through “Ennore- Thiruvallur -Bengaluru -Puducherry -Nagapattinam –Madurai- Tuticorin” Natural Gas Pipeline Project in the State of Karnataka by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, copies of the said notifications were made available to the public from 14.7.2020.

And whereas, the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government, after considering the said report is satisfied that the Right of User in the Land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the said Land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said Land shall instead of vesting in the Central Government, vest from the date of publication of this declaration, in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & M P Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

District : Bengaluru Rural			State : Karnataka			
Name of the Taluk	Name of the Village	Survey No.	Sub Division No.	Area		
				Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6	7
Hosakote	Khajihosahalli	14	2	00	03	08
		14	4	00	15	89
		14	3	00	03	20
		101	3	00	07	10
Hosakote	Banahalli	11	3	00	10	75
		11	2	00	07	53
		10		00	25	86
		15	2	00	12	48
		17		00	30	39
		16		00	07	60

		21		00	14	85
Hosakote	Thindlu	69		00	70	00
		102		00	52	20
		87		00	41	22
		126		00	19	52
		109		00	06	35
		103		00	07	04
		106		00	12	45
Hosakote	Lingadheera mallasandra	45	2	00	23	63
		51		00	15	00
		31		00	77	97
		30		00	31	96
Hosakote	Devangonhi	134		00	82	80
		135		00	68	40
		137		00	25	20
		136	1	00	07	20
		146	2	00	14	40
		246		00	22	32
		142		00	80	00
Hosakote	Medihalli	4		00	11	00

[F. No. L-14014/37/2020-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.